निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 410) पटना, मंगलवार, 31 मार्च 2015

सं0 यो004 / PPP–3 / 2014—4989 यो0वि0

योजना एवं विकास विभाग

संकल्प

3 नवम्बर 2014

विषयः–जिला स्तरीय प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग समिति का गठन।

बड़ी–बड़ी परियोजनाओं में मुख्य रूप से भू–अर्जन के साथ–साथ अतिक्रमण, वन भूमि के हस्तांतरण, अधिग्रहित या पूर्व से Right of way में पड़ने वाले चौड़ीकरण के कारण पेड़ के पातन, खनन विभाग से खनन पट्टा एवं निर्माण सामग्री से संबंधित मुद्दे, बिजली विभाग से संबंधित बिजली के संरचनाओं के पुर्नस्थापित से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण विलम्ब होता हैं और इसी प्रकार की समस्याओं के कारण परियोजना ससमय कार्यान्वित नही हो पा रही हैं। कई मामले में परियोजना कार्य बाधित ही नहीं बल्कि परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि हो रही है। उल्लेखनीय है कि राजस्व अधिनियम, यथा–भू–अर्जन, अतिक्रमण, BT Act इत्यादि, खनन से संबंधित अधिनियम में मूल शक्तियॉ जिला समाहर्ताओं में निहित होती है या जिला स्तर के पदाधिकारी में यथा–वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता में निहित होती है। यद्यपि योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या–3653 दिनांक 26.08.2013 द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजनाओं के प्रबोधन / अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय समिति गठित है। लेकिन अंततः जिला स्तर से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने या निदेशों के कार्यान्वित नहीं होने का एक बड़ा कारण जिला स्तर पर एक संस्थागत व्यवस्था का अभाव है। राज्य की इन परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी बाधाएँ आ रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल समस्या के कारण भी अनेक बड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य बाधित होने की सूचनाऍ भी राज्य सरकार को मिल रही है। अतः सभी प्रकार की परियोजनाओं से संबंधित उपर्युक्त प्रकार की समस्याओं / मुद्दों के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रोजेक्ट मोनिटरिंग समिति (District Project Monitoring committee) का गठन किया जाता है जिनके सदस्य निम्न प्रकार होंगेः–

1. जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. उप विकास आयुक्त	सदस्य
4. अपर समाहर्ता	सदस्य सचिव
5. वन प्रमंडल पदाधिकारी	सदस्य

6. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल	सदस्य
7. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	सदस्य
8. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल	सदस्य
9. जिला खनन पदाधिकारी	सदस्य
10. जिला अवर निबंधक	सदस्य
11. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी	सदस्य
12. बिहार राज्य में कार्यान्वित केन्द्रीय प्रक्षेत्र की परियोजना/एजेंसी से प्रतिनिधि/ राज्य के निगम/प्राधिकार के प्रतिनिधि	सदस्य
13. निजी निवेशक के प्रतिनिधि/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य

इस समिति के निम्नलिखित दायित्व होंगेः–

(i) यह समिति सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में चल रही लम्बित परियोजनाओं का अनुश्रवण नियमित रूप से करेंगी।

(ii) यह समिति आवश्यकतानुसार परियोजना से संबंधित अन्य पदाधिकारी को भी बैठक में भाग लेने हेतु विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

(iii) समिति की बैठक प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

(iv) समिति संबंधित परियोजना के उन बाधाओं/समस्याओं का निराकरण कर एक प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेजते हुए एक प्रति योजना एवं विकास विभाग को भेजेंगी।

(v) जिन समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर संभव नही होगा उनके बारे में जिलाधिकारी संबंधित विभाग को अवगत करायेंगे।

प्रमंडल स्तर पर संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त प्रत्येक मासिक बैठक में इस समिति द्वारा मॉनिटरिंग की जानेवाली परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 410-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in